

Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal
West Block No 2, R.K. Puram, New Delhi-110 066

Office of the CPIO
(RTI Section)

CPIO ID No. 12-94/2017
Dated: 13.10.2017

To

Shri Shashank Bhowmick
Under Secretary, Ad.1C
CPIO,
Govt. of India, Ministry Of Finance
Dept. of Revenue, North Block
New Delhi-110001

Sir,

Please refer to your RTI letter no. 20011/186/2017-Ad.1C (CESTAT) registered in the CESTAT as CPIO ID no. 12-94/2017, in this RTI application the text of RTI application of Sh. Swam Prakash Kaushal is common which is registered in the CESTAT at CPIO ID no. 12-77/2017 in response to your letter no. R-20011/145/2017-AD.1C (CESTAT) and the applicant Sh. Swam Prakash Kaushal is also common.

In response to your first letter file no. R-20011/145/2017-AD.1C (CESTAT) this RTI was registered in the CESTAT as CPIO ID no. 12-77/2017 and its reply had already been sent to the applicant vide CPIO's letter dated 08.09.2017 (copy enclosed).

This is already disposed of to the extent related to this office.

Thanking you

Encl: Copy of CPIO's reply dated 08.09.2017

CPIO
CESTAT, Delhi

Yours faithfully

Copy to:
Sh. Swam Prakash Kaushal
Mohalla Badajai-1, Tehsil-Sadar,
Shahajahanpur UP- 242001

11 SEP 2017

o/c

Central Public Information Officer
(V.P. Pandey)

[Handwritten signature]

Form No. 1 - Does not pertain to this office

Delhi.

If aggrieved, you may file an appeal under section 19 of RTI Act within thirty days before Honble First Appellate Authority, CESTAT New

Note:- RTI application's replies which are related to outer benches may be gathered form there by filing RTI applications there directly, for facilitation, CPIOs are nominated at all outer benches separately.

You are, Therefore, requested to please acknowledge the receipt and deposit Rs. 2/- (@ 2/- per page) to this Tribunal by cash or DD in favour of Accounts Officer, CESTAT, New Delhi.

Please refer to your RTI application No. 12-77/17 and our ID No. 24/08/17 from D.O. (A) containing 01 logs is enclosed herewith for your reference please.

Sir/Madam,

Subject: Information under Right to Information Act 2005.

*30/08/17
24/08/17
12-77/17
12-77/17
12-77/17
12-77/17
12-77/17
12-77/17
12-77/17
12-77/17*

To,

Dated. 24/9/17
ID No. 12-77/17

F. No. 12-77/1 CESTAT/CPIO-ND/VPP/2017
Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal
West Block No 2, R.K. Puram, New Delhi-110 066

११/१७

F.No. 33/RTI/Misc./CESTAT-ND/Admn.2016
 Customs Excise & Service Tax Appellate Tribunal
 West Block No. 2, R.K. Puram, New Delhi - 66

Dated: 06.09.2017
 I.D. No. 12-77/2017

Sub : Information sought under Right to Information Act, 2005

Sir,

With reference to the RTI application dated 24.08.2017 filed by Shri S.P. Kausal in CP10 I.D. No. 12-77/2017, please find enclosed herewith point wise reply concerning the Administration section is as under :

Reply to (1)

Does not pertain to administration section .

Reply to (2)

Year	Gen	SC	ST	OBC	Total
2010-11	2				2
2011-12					--
2012-13	1				1
2013-14	1			2	3
2014-15	17	6		7	30
2015-16	5	2		3	10
2016-17	2	4	1	9	16

Reply to (3)

Gen	SC	ST	OBC	Total
3		1	1	5
20	4	2	9	35
30	1	22	11	64

Reply to (4)

No posts under the reserved category have been abolished by the government.

Yours faithfully,

(Bineesh Kumar K.S.)
 Deputy Registrar(Admn.)

Copy to :

CP10/AR, C.E.S.T.A.T., N. Delhi.

F. No. 13-77 / CESTAT/CPIO-ND/VPP/2017
Customs Excise and Service Tax Appellate Tribunal
West Block No 2, R.K. Puram, New Delhi-110 066

Dated:- 24/8/17
ID No. 13-77/17

Subject: Information sought under RTI Act, 2005.

Sir/Madam,

Please refer to RTI application No. _____ dated _____ of Shri/Smt. S.P. Kaur under RTI Act 2005 (copy enclosed) wherein certain information are sought as mentioned therein is related to your section.

Therefore, in terms of the provisions of Section 6(3) and Section 5(4) read with Section 5(5) of RTI Act 2005 the RTI application No. _____ dated 24/8/17 CPIO ID No. 12-77/17 is forwarded herewith to the you as deemed CPIO with the request to provide the correct and para wise information/inspection on or before 08/09/17 directly to the applicant and intimate the undersigned within the stipulated time failing which, you will be responsible for delay and penalty if any, under section 20 of RTI Act. You are, further requested to follow OM No.12/31/2013-IR dated;12.02.2013 circulated on 23.05.2013.

If the information is not with your section or you, please reply from where it may be retrieved, without delay.
Note:- RTI application's replies which are related to outer benches may be gathered form there by filing RTI applications there directly, for facilitation, CPIOs are nominated at all outer benches separately.

Encl: As above.

(V.P. Pandey)
Central Public Information Officer

Copy to:
1. DRLA
2. _____
3. _____
4. Shri. S.P. Kaur 12/8/17
12/8/17 12/8/17 12/8/17
12/8/17 12/8/17 12/8/17
12/8/17 12/8/17 12/8/17
30110-034
30110-034
30110-034

प्रतिनिधि : श्री स्वयं प्रकाश कौशल, 81 मी बाहुजई प्रथम, तहसील सादर, जिला शजोरपुर, उत्तर प्रदेश 242001 -
दिनांक १५.०६.२०१७ के आरटीआई आवेदन के संबंध में सूचनाएं।

फोन : २३०१५३५९
केंद्रीय सांख्यिकीय आयोग (आर्थिक)
भारतीय

DR (A)

संलग्न : उपरोक्त अनुरोध

21/8/17
103

कंपना उपरोक्त विषय पर आरटीआई सेल से प्राप्त कायद्वारा संख्या ५०/२/५४१९१८४/२०१७-आरटीआई सेल, दिनांक १५.०६.२०१७ को देखें। आवेदन में बिंदु संख्या २ से ४ आपके कायद्वारा से संबंधित है, इसलिये सूचना के अधिकार अधिनियम, २००५ की धारा ६(३) के तहत आपको उक्त आवेदन हेतु संबंधित कायद्वारा से सूचना देनी चाहिए। आरटीआई के लिए इस कायद्वारा को भी पूर्णिकृत करी जाये।

भारतीय

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तहत, श्री स्वयं प्रकाश कौशल से प्राप्त आरटीआई आवेदन, दिनांक १५.०६.२०१७ के संदर्भ में।

आर के प्रेम, नई दिल्ली-६६
सेस्ट, पश्चिम ब्लॉक न. २

केंद्रीय सांख्यिकीय आयोग (आर्थिक)

सेवा में

नई दिल्ली, नार्थ ब्लॉक
दिनांक: २२ अगस्त, २०१७

फाइल संख्या : आर-20011/145/2017-ए. डी.सी. (सेस्ट)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

आरटीआई मामला

17-7/2017

क्र. पृ. 3.

सूचना इस विभाग की दी जाए।

अन्य कार्यालय के तहत आता है तो इसे लोक सूचना अधिकांती की आगे हस्ताक्षरित कर दिया जाए, जिससे यह मामला संशोधित हो। जिसकी सी. बी. डी. टी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, को हस्ताक्षरित किया जा रहा है। यदि इस आवेदन पर का कोई भी अंग किसी (Ad-III(B)), सी. बी. डी. सी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, तथा (XV) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (Ad-VI), और अवर सचिव (Ad-III(B)), सी. बी. डी. सी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (XIV) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (Ad-III(A)), सी. बी. डी. सी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (XIII) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती नई दिल्ली, (XI) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (Ad-II), सी. बी. डी. सी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (XII) केन्द्रीय 1(C)), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (X) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (Ad-1), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, अधिकांती और अवर सचिव (Ad-Ed), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (IX) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (Ad- (VII) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (CX-9), सी. बी. डी. सी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (VIII) केन्द्रीय जनसूचना मंत्रालय, नई दिल्ली, (VI) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (ITCC), सी. बी. डी. टी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, सी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (V) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (TPL), सी. बी. डी. टी. राजस्व विभाग, वित्त और अवर सचिव (ST-2), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (IV) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (TRU), सी. बी. डी. दिल्ली, (III) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (ST-1), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (III) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत (I) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती, आयकर महानिदेशक (मानव संसाधन विकास) का कार्यालय, नई सी. बी. डी. टी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, के क्षेत्राधिकार में आती है, इसलिए आरटीआई आवेदन पर को सूचना का अधिकांती (Ad-III(B)), सी. बी. डी. सी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, तथा (XV) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (Ad-VI), और अवर सचिव (Ad-III(B)), सी. बी. डी. सी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (XIV) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (Ad-III(A)), सी. बी. डी. सी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (XIII) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती नई दिल्ली, (XI) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (Ad-II), सी. बी. डी. सी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (XII) केन्द्रीय 1(C)), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (X) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (Ad-1), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, अधिकांती और अवर सचिव (Ad-Ed), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (IX) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (Ad- (VII) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (CX-9), सी. बी. डी. सी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (VIII) केन्द्रीय जनसूचना मंत्रालय, नई दिल्ली, (VI) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (ITCC), सी. बी. डी. टी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, सी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (V) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (TPL), सी. बी. डी. टी. राजस्व विभाग, वित्त और अवर सचिव (ST-2), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (IV) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (TRU), सी. बी. डी. दिल्ली, (III) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती और अवर सचिव (ST-1), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली, (III) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती

2. चूंकि अर्पण की गई सूचना (I) केन्द्रीय जनसूचना अधिकांती, आयकर महानिदेशक (मानव संसाधन विकास) का कार्यालय, नई सूची की प्रति संलग्न है।
 दिनांक 15.06.2017 का आरटीआई आवेदन पर राजस्व विभाग के आरटीआई कक्ष में दिनांक 11.08.2017 को प्राप्त हुआ है।
 विषय: सूचना का अधिकांती अधिनियम, 2005 के तहत श्री स्वयं प्रकाश कौशल, उत्तर प्रदेश के आवेदनपत्र के हस्ताक्षर के संबंध में।

कार्यालय आपन

दिनांक/6 अगस्त, 2017
 नई दिल्ली, नई दिल्ली

 (आर.टी.आई. प्रकोष्ठ)
 राजस्व विभाग
 वित्त मंत्रालय
 भारत सरकार

फा. सं. 50/2/549984/2017-आरटीआई सेल

आरटीआई

557716/2017/CESTN/1200

सं. 12/32(06)/2017-आरटीआई

वित्त विभाग
व्यय विभाग
आरटीआई प्रकोष्ठ

लोक नायक भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 11.08.2017

कायालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री स्वयं प्रकाश कौशल से प्राप्त आरटीआई आवेदन के संबंध में।

अधोस्तक्षरी को उपर्युक्त विषय पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत


Department of Personnel, Public Grievances and Pension के दिनांक 08.08.2017 के पत्र सं. No. 2/2/2017-RTIC/04008 के तहत दिनांक 10.08.2017 को इस विभाग के आरटीआई प्रकोष्ठ में प्राप्त श्री स्वयं प्रकाश कौशल के दिनांक 15.06.2017 के आरटीआई आवेदन की प्रति संलग्न करने का निर्देश हुआ है, जो इस विभाग के PRU

के संबंधित है।

चूंकि विषय-वस्तु D/o Revenue से भी संबंधित है, सूचना साथे आवेदन को प्रस्तुत किए जाने के अनुरोध के साथ उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत उक्त आवेदन हस्तांतरित किया जाता है।

2. प्रशासन/अनुशासन के संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा अंतिम उत्तर लिखत समय-समय में साथे आवेदन को भेजा जाए। अंतिम उत्तर की एक प्रति रिकार्ड के लिए

आरटीआई प्रकोष्ठ को भी प्रेषित की जाए।
सेवा में,
1. Assistant Director, Pay Research Unit, 512, A wing, 5th Floor, Lok



Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi- 110003
2. Shri S. Bhowmick, Under Secretary (RTI), & CPIO, Ministry of Finance,
Department of Revenue, North Block, New Delhi

पतिलाल सुवनाथ:- श्री स्वयं प्रकाश कौशल, 81 सी बटवई प्रथम, तहसील सादर, जिला शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश 242001, को इस मामले में अनिश्चित जानकारी के लिए उपर्युक्त लोक प्राधिकारी से संपर्क करने के परामर्श के साथ सूचनाएं।

Handwritten notes and stamps including 'Suppdu/17-RTI', '11/08/2017', and '14/8/17'.

24/7/17
94

संख्या आरटीआई/8061/2017-पीएमआर

कार्यालय आपन

विषय - संवेना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपरोक्त विषय पर श्री स्वयं प्रकाश कौशल से प्राप्त दिनांक 15.6.7.2017 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 19.6.2017 को प्राप्त हुआ है, संवेना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत परामर्शित कार्टवर्ड हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गया है।

Sh. K. Saini
US (R-1)

Sh. K. Saini
US (CS-4A)

Sh. K. Saini
US (CS II B)

Sh. B. B. B.
संवेना विभाग
भारत सरकार

Sh. B. B. B.
नया ब्लॉक, नई दिल्ली

Sh. B. B. B.
भारत सरकार
कार्यालय परामर्श विभाग
नया ब्लॉक, नई दिल्ली

पति- (सुविधा प्राप्त) (आर)

Sh. B. B. B.
Choudhary
US (S-1)

श्री स्वयं प्रकाश कौशल
पुत्र 810 सीताराम कौशल
81, मी0 बाइकवर्ड प्रथम
तह0 सदर, जिला शाहजहाँपुर
उत्तर प्रदेश-242001

कृपया आप इस संबंध में आगे संवेना हेतु उपरोक्त लोक
अधिकारियों से सम्पर्क करें।

विधि संख्या 2 से 4 के संबंध में


विधि संख्या 1 के संबंध में

e-mail: rti-pmo.applications@gov.in : 2338 2590

(प्रवीण कुमार)
अवर सचिव एवं
कन्द्रीय लोक संवेना अधिकारी

04007/RTI/2017
04008/RTI/2017
04006/RTI/2017
04005/RTI/2017
04003/RTI/2017

04004/RTI/2017
04001/RTI/2017
04002/RTI/2017



श्री रम्य प्रकाश कौशल, 81, मॉ. बार्डजोई प्रथम, तह.- महर, जिला- शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश - 242001 को इस आदेश के साथ ही इस मामले में प्रचार हेतु उपर्युक्त केन्द्रीय लोक संचालिकाएँ से संपर्क करें।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना हेतु :-

- (ii) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी, अध्यक्ष मर्यादाशक (मानव संसाधन विकास) का कार्यालय, दूसरा तल, आई. सी. ए. डी. आर. भवन, ब्लॉक नं. 6, वसंत कुंज इंस्टीट्यूशनल परिसर, दक्षिणीय वृत्त, नई दिल्ली - 110070
- (iii) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी और अवर सचिव (ST-1), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
- (iiii) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी और अवर सचिव (ST-2), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
- (iv) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी और अवर सचिव (TRU), सी. बी. ई. सी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
- (v) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी और अवर सचिव (TPL), सी. बी. डी. टी., राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
- (vi) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी और अवर सचिव (ITCC), सी. बी. डी. टी., राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
- (vii) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी और अवर सचिव (CX-9), सी. बी. ई. सी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
- (viii) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी और अवर सचिव (Ad-Ed), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
- (ix) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी और अवर सचिव (Ad-1(C)), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
- (x) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी और अवर सचिव (Ad-1), राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
- (xi) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी और अवर सचिव (Ad-II), सी. बी. ई. सी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
- (xii) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी और अवर सचिव (Ad-II(A)), सी. बी. ई. सी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
- (xiii) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी और अवर सचिव (Ad-II(B)), सी. बी. ई. सी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
- (xiv) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी और अवर सचिव (Ad-III(B)), सी. बी. ई. सी. राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001
- (xv) केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी और अवर सचिव (Ad-VI), सी. बी. डी. टी., राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001

संज्ञा नं. : 23095368
 अवर सचिव एवं सीपीआइए (आर.टी.आई.)
 (एच. शौकिक)

संज्ञा नं. उपर्युक्त के अनुसार।

4. आईटीआई संख्या 38 F 825728 के रूप में 10 रु. की निश्चित फीस को इस विभाग द्वारा रख लिया गया है।
3. आईटीआई आवेदन को भारत सरकार के राजस्व विभाग के व्यापार नियम के आदेश के अंतर्गत विचार करने के प्रयत्न में रखा जा रहा है।

निवेदन पत्र सं.:-

10/8/12
P.S.
Dor/PRU

12/32(06)/2017-RPT

- १. श्री प्रदीप ए. अवर सावित्र, सी.एस. - 11 ए. - आवेदन प. सं. - 03768 लोक नायक भवन, खान मार्केट, न्यू दिल्ली।
- २. श्री के. श्रीनिवासन, अवर सावित्र, सी.एस. 1 ए. - आवेदन प. सं. - 03767 लोक नायक भवन, खान मार्केट, न्यू दिल्ली।
- ३. श्री प्रेम वंद, अवर सावित्र, एस - 1 - आवेदन प. सं. - 03769/1 लोक नायक भवन, खान मार्केट, न्यू दिल्ली।
- ४. श्री सतिश कुमार, अवर सावित्र, सी.एस. - 11 ब, लोक नायक भवन, खान मार्केट, न्यू दिल्ली।
- ५. श्री देबाशरिता दास, अवर सावित्र, आरक्षण- 11, डी.डी.सी.पी.टी, न्यू दिल्ली।
- ६. श्री. सी. अ. RTI Cell, कर्मचारी वृत्त अग्रिम, सी.डी.डी.सी. अ. कर्मचारी वृत्त, न्यू दिल्ली।
- ७. श्री. सी. अ., RTI Cell, सच लोक सेवा अग्रिम, आदर्श रोड, नई दिल्ली।
- ८. श्री. सी. अ., RTI Cell, अग्र विभाग, विवेक भवन, न्यू दिल्ली।

२३०९३२१४

केंद्रीय लोक सेवना अधिकारी एवं अवर सावित्र
(सी. प्रदीप कुमार)

(Handwritten signature)

यदि आप उपरोक्त जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्रथम अधीनस्थ अधिकारी श्री डी. के सेनापति, उप सावित्र (जे.सि.ए) डी.ओ.पि.टी, न्यू दिल्ली नई दिल्ली - ११०००१ के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सूचना के अधीकार, २००९ की धारा का पालन करते हुए आपके आवेदन को इस विभाग के संबंधित जन सेवना अधिकारी को भेजा जा रहा है जो की इस विभाग द्वारा संचालित केंद्रीय सेवाओं के बारे में उपलब्ध सूचना से आपको सही सूचना करने तथा कर्मचारी वृत्त अग्रिम और सच लोक सेवा अधीनस्थ तथा विभाग को भी धरा (३) के अंतर्गत भेजा जा रहा है ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की सूचना हो तो आपको सही उपलब्ध करा दी।

सूचना के अधीकार, २००९ की धारा का पालन करते हुए आपके आवेदन को इस विभाग के संबंधित प्राधान के अनुसार यह सूचना संबंधित मंत्रालय के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर उपलब्ध करे।
O.M.No.10/2/2008-1R दिनांक 12/06/2008 और पत्र सं. No.10/2/2008-1R दिनांक 24/09/2010 के निवेदन है की आप सूचना अधीनस्थ अधिनियम के धारा ६(१) और इस विभाग के गार्डरूम सं. पत्र सं. यह सूचना सही मंत्रालय में लिखी हुई है। बालिक यह सूचना सही मंत्रालय में लिखी हुई है। अतः आपसे करना अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में इस सूचना का सफल किसी एक लोक प्रतिकारण में नहीं होना बालिक रिपोर्ट में परते से ही मौजूद है। सूचना अधीनस्थ की आर.टी.आई. अधिनियम के तहत सूचना का सफल आपको अवगत कराया जाता है की जन सेवना अधिकारी वही सूचना उपलब्ध करा सकता है जो

कंप्यूटर सूचना अधीनस्थ २००९ के अंतर्गत आपके आवेदन दिनांक 15.06.2017 का अवलोकन करे जो इस विभाग की प्रधान मंत्री कार्यालय आपन संख्या RTI/8061/2017-PMR dated 18.07.2017 की द्वारा प्रपत हुआ है जिसमें आपने केंद्र सरकार में 2010-11 से 2016-2017 तक हुई स्थायी नियुक्तियों की सूचना मांगी है।

महोदय,

विषय :- सूचना अधीनस्थ अधिनियम २००९ के अंतर्गत आवेदन
प. संख्या - DOP&T/2017/R/04008

सेवा में,
श्री स्वयं प्रकाश कौशल,
81 मां गार्डन ई प्रथम,
नरेशील सादर, जिला राजौरा,
उत्तर प्रदेश 2420011

08 AUG 2017

नाथु ललाक नई दिल्ली - ११०००१
दिनांक 25.07.2017

भारत सरकार
कानून, लोक शिकायत तथा प्रशासन मंत्रालय
कानून और प्रशासन विभाग

No.2/2017-RTI/C/04008

464646

19/06/17 37F 230653

15-26-17
 64629
 19/06/17
 37F 230653

37F 230653
 19/06/17

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. ...
 12. ...
 13. ...
 14. ...
 15. ...
 16. ...
 17. ...
 18. ...
 19. ...
 20. ...
 21. ...
 22. ...
 23. ...
 24. ...
 25. ...
 26. ...
 27. ...
 28. ...
 29. ...
 30. ...
 31. ...
 32. ...
 33. ...
 34. ...
 35. ...
 36. ...
 37. ...
 38. ...
 39. ...
 40. ...
 41. ...
 42. ...
 43. ...
 44. ...
 45. ...
 46. ...
 47. ...
 48. ...
 49. ...
 50. ...
 51. ...
 52. ...
 53. ...
 54. ...
 55. ...
 56. ...
 57. ...
 58. ...
 59. ...
 60. ...
 61. ...
 62. ...
 63. ...
 64. ...
 65. ...
 66. ...
 67. ...
 68. ...
 69. ...
 70. ...
 71. ...
 72. ...
 73. ...
 74. ...
 75. ...
 76. ...
 77. ...
 78. ...
 79. ...
 80. ...
 81. ...
 82. ...
 83. ...
 84. ...
 85. ...
 86. ...
 87. ...
 88. ...
 89. ...
 90. ...
 91. ...
 92. ...
 93. ...
 94. ...
 95. ...
 96. ...
 97. ...
 98. ...
 99. ...
 100. ...

1

5-5
 4-
 3-
 2-
 1-

19 JUN 2017

...

8061/2017

...

...

...

...